HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9220/2026
CNR: RJHC010630872026
URN: CRLMB / 20040U / 2026

Naresh Kumar S/o Bhagwandas, Aged About 29 Years, R/o Charniyo Ki Dhani Punasa P.s Bhinmal District Jalore
(At Present Lodged In Sub Jail Bhinmal)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7676/2026
CNR: RJHC010569252026
URN: CRLMB / 16899U / 2026

Shivlal S/o Shri Lakha Ram, Aged About 55 Years, Resident Of Near Bhaderwa Bera, Kasba Bhinmal, Bhinmal Police Station, District Jalore.(Lodged In Sub Jail, Bhinmal)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mangilal Vishnoi Mr. Kishanlal Vishnoi
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Kshitij Vyas Mr. Sukhadev patel

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

17/07/2026

01. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से जमानत ये दोनों आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना **भीनमाल, जिला जालौर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **191/2026**, अपराध अन्तर्गत धारा **189(2), 115(2), 126(2), 109(1)** भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत हुए है।

02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का तर्क है कि इस मामले में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण नरेश व शिवलाल द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। शिवलाल के घर पर घटना से पूर्व इकट्ठे होकर घटना वाले दिन मारपीट करने के लिए जाना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उसको धारा 61(2)(क) बीएनएस में अपराध में शामिल किया गया है। शिवलाल पेशे से अध्यापक है। अनुसंधान पूर्ण होने व बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान शिवलाल के घर से लिये गये सीसीटीवी फुटेज की ओर आकर्षित किया और बताया कि घटना से पहले सहअभियुक्तगण प्रार्थी/अभियुक्त के घर पर इकट्ठे हुए थे। धारा 61(2)(क) बीएनएस में शिवलाल आरोपी होना बताया। इन आधारों पर दोनों जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैनें उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली/केस डायरी का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में आहत कृष्ण कुमार के बयान का अवलोकन किया। जिसके मुताबिक भजनलाल द्वारा अपनी स्कॉर्पियो में बैठकर आहत को जान से मारने की नीयत से टक्कर मारी जिससे सड़क पर सुन्धा हार्डवेयर की दुकान की सीढियों के पास फुटपाथ पर गिर गया और उसके पास खड़ी मोटरसाईकिल भी गिर गई। आहत के गिरते ही कैम्पर में आये सुनील विश्नोई, हकीम खां व भंवरलाल संत ने लोहे के सरिये व रॉड से ताबड़तोड हमला करके आहत को मारने लगे। भजनलाल बार–बार स्कार्पियों पीछे लेकर उसके उपर चढ़ाने का प्रयास करके टक्कर मारता रहा। आहत ने हाथों से बचाव किया व चिल्लाता रहा फिर काफी लोग आ जाने पर मुलजिमान स्कार्पियो कैम्पर में बैठकर भाग गये।

06. ऐसी अवस्था में इस मामले में मारपीट नरेश कुमार द्वारा की जाना नहीं बताया है मौके पर तेजाराम के साथ नरेश विश्नोई का खड़े होना और हाथ पकड़ने का आरोप लगाया है। जहां तक शिवलाल का प्रश्न है उसके घर पर सलाह मशविरा करके शिवलाल के कहने से सहअभियुक्तगण का मारपीट के लिए आने का आरोप लगाया गया। मौके पर शिवलाल मारपीट करने वालों में शामिल नहीं है। अनुसंधान पूर्ण होने वे बाद नतीजा विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व

परिस्थितियों में प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

08. परिणामतः दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण **01. नरेश कुमार पुत्र भगवानाराम, 02. शिवलाल पुत्र लखाराम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी–अभियुक्त एक–एक लाख रूपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रूपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावें।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

26-27/SN Lohra/336